

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
इल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक-स्फ-73- ॥ /2009/20-3
प्रति,


भोपाल, दिनांक ५/५/०८

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था दुन जरिलठ इल्लभ शिक्षा सेक्टर नं.-
- प्राप्तिनिधि - भवन को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था दुन जरिलठ इल्लभ शिक्षा सेक्टर
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश
के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की
कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी
को नामांकित किया जाये।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का
मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगे।
इस हेतु संस्था से व्यवस्था पत्र लिखाया जाये।
3. इस संस्थाएँ के संवालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर
विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने
का अधिकार होगा।


निरन्तर. 2 पर

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मृ. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभ्य-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं नियंत्रण के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का व्यवस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में मृ. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा नियरित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री छली घाजार से क्रय करने की शुल्किया रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की व्यवस्था नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत तरकार द्वारा ऐक्षणिक संस्थाओं के संबंध में सभ्य-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस द्वेषु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू स्ल. पी. जी. आदि से संयोजित नहीं किया जायेगा ।

नियन्त्र. ३ रु

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रेक्षा देने से इनकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रभाप-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
12. संस्था के दूरतकाल्य में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवंशित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

१०४३० बगरे

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० ५०-एक-७३- ॥ /२००५/२०-३

भोपाल, दिनांक ४/५/२०५७

प्रतिलिपि:-

1. आमूक्त, लोक शिक्षण संयालनालय, म. प्र. भोपाल।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षकालय, झज्जा - - - -
 3. प्रायार्द, अशारकीय शिविष संस्था दुन चहिलक स्कूल किंटी-सेवर
- स्कूल नं. १-झानिपर - मुजुा - - - - - - - - -
 4. आईर छुक।
- की ओर सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रणित।

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग